चूंकि प्रकरण में अपीलांट हरीराम का देहावसान दिनांक 11–07–2013 को हो चुका है जबकि अदालत हाजा द्वारा दिनांक 07–11–2013 को निर्णय पारित किया गया था। इस प्रकार अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–11–2013 के चार दिन उपरान्त ही अपीलांट हरिराम का देहान्त हो गया था। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ स्व. हरिराम के जायज वारिसान की सूची प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट स्व. हरिराम के वारिसान बकाया राशि जमा कराने के लिए तैयार है ऐसी स्थिति में चूंकि प्रार्थीगण अपीलांट स्व. हरिराम के जायज वारिसान होने से अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–11–2013 में प्रार्थीगण को अपीलांट स्व. हरिराम के स्थान पर बतौर अपीलांट प्रतिस्थापित किया जावे।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना व शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश दिये जाते है कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07–11–2013 में आंशिक संशोधन इस आश्य का किया जाता है कि उक्त निर्णय में अपीलांट स्व. हरिराम के स्थान पर उसके जायज वारिसान 1/1 रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. हरिराम 1/2 निर्मल पुत्र स्व. हरिराम, 1/3 रमेश पुत्र हरिराम, 1/4 कृष्णलाल पुत्र स्व. हरिराम को बतौर अपीलांट प्रतिस्थापित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। शेष निर्णय यथावत रखा जाये। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर